न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि0न0 — 117/2023

अनवान : —

1. भगवानाराम उर्फ महेन्द्र सिंह पुत्र रावताराम जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
— प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री वेदप्रकाश प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 13/05/24

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 94/91 के खसरा सं0 280 की 5.7920है0 बारानी में प्रार्थी भगवानाराम का 1/6 हिस्सा तथा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 95/92 के खसरा सं0 204, 205, 207, 215, 260, 264, 265, 426/280, 447/209, की कुल 18.1710है0 में प्रार्थी भगवानाराम का 769/10095 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में भगवानाराम पुत्र रावताराम दर्ज है। जबकि प्रार्थी के स्वंय के दस्तावेजों में भी नाम भगवानाराम पुत्र रावताराम दर्ज है। लेकिन प्रार्थी को एक अन्य नाम महेन्द्र सिंह के नाम से भी गांव मे जाना जाता है। इसलिए प्रार्थी के पुत्र मुन्शीराम के सभी दस्तावेजों यथा अंकतालिका, आधार कार्ड, राशन कार्ड में पिता का नाम महेन्द्रसिंह तथा महेन्द्रसिंह उर्फ भगवानाराम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी के नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी की संतान व स्वयं अपनी खातेदारी का सही उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहे है। अतः प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में भगवानाराम उर्फ महेन्द्रसिंह दर्ज करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट प्राप्त की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.21 09:34:02 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरा[illegible] [illegible]ील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में भगवान[illegible] [illegible] रावताराम द[illegible] जबकि प्रार्थी के स्वंय के दस्तावेजों में भी नाम भगवानाराम पुत्र रावत[illegible] दर्ज है। लेकिन [illegible] अन्य नाम म[illegible] के नाम से भी गांव मे जाना जाता है। इसलिए प्रार्थी [illegible] पुत्र मुन्शीराम के सभ[illegible]वेजों यथा अंकतालिका, आधार कार्ड, राशन कार्ड में पिता का नाम महेन्द्रसिंह तथा महेन्द्रसिंह उर्फ

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
(जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

भगवानाराम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी के नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी की संतान व स्वयं अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहे है। अतः प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में भगवानाराम उर्फ महेन्द्रसिंह दर्ज किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 94/91 के खसरा सं0 280 की 5.7920है0 बारानी में प्रार्थी भगवानाराम का 1/6 हिस्सा तथा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 95/92 के खसरा सं0 204, 205, 207, 215, 260, 264, 265, 426/280, 447/209, की कुल 18.1710है0 में प्रार्थी भगवानाराम का 769/10095 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रार्थी अपना नाम भगवानाराम के स्थान पर भगवानाराम उर्फ महेन्द्र सिंह दर्ज करवाना चाहता है, तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट क्र0–भू/23/571 दिनांक 19.10.2023 के अनुसार प्रार्थी का भगवानाराम के साथ साथ आम बोलचाल एवं ग्रामिणों के अनुसार महेन्द्र सिंह भी नाम होना बताया है। प्रार्थी के पुत्र मुन्शीराम के सभी दस्तावेजों में भी पिता का नाम महेन्द्रसिंह दर्ज है। साथ ही सहखातेदार देवीलाल पुत्र रावता, मानसिंह, दिलेरसिंह पुत्र कृष्ण कुमार, संतरो पत्नी कृष्ण कुमार तथा लीलूराम पुत्र मेघाराम के अनुसार भी प्रार्थी का नाम भगवानारम व महेन्द्र सिंह दोनों ही है और गांव में दोनों नाम से ही जाना जाता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 94/91 के खसरा सं0 280 की 5.7920है0 बारानी में प्रार्थी भगवानाराम का 1/6 हिस्सा तथा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 95/92 के खसरा सं0 204, 205, 207, 215, 260, 264, 265, 426/280, 447/209, की कुल 18.1710है0 में प्रार्थी भगवानाराम का 769/10095 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में **प्रार्थी का नाम भगवानाराम की जगह भगवानाराम उर्फ महेन्द्र सिंह पुत्र रावताराम** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि पूर्व किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि भगवानाराम नाम से बकाया है तो उसके लिए प्रार्थी का नाम भगवानाराम ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 13-05-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/05/24

(ओ.पी. चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.21 09:34:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner